फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह | **विपक्षी : श्रीमती मोतीबाई**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 08/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 11.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प धोलीमगरी में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नोटिस बाद तामील प्राप्त। अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 594 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की, जिसमें रेस्पोडेन्ट को 46/193 हिस्सा ही विक्रय किया जबकि नामान्तरकरण में सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया है, जिसे निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण पारित किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा दिनांक 04.02.2016 को पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की, जिसमें अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को अपने नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में से 46/193 हिस्सा विक्रय किया हैं, जबकि नामान्तकरण दर्ज करते समय 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया हैं, जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता हैं जिसे सही किया जाना उचित हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 594 दिनांक 04.02.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2015 के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:48:06 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली